<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002262010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—364/10</u> संस्थापित दिनांक—07.09.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।			
ontan as a action of the street		अभि	योजन
विरुद्ध			
01—मुखिया पुत्र करन सिंह कुशवाह निवासी—फतेहाबाद,	उम्र	55	साल
02—मुन्ना पुत्र करन सिंह कुशवाह निवासी—फतेहाबाद,	उम्र	60	साल
03—रामसेवक पुत्र दयाराम कुशवाह निवासी—फतेहाबाद।	उम्र	25	साल
आरोपीगण			
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :– श्री पठान अधिवक्ता।ं			

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 24.01.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 506बी, 324, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कलाबाई ने दिनांक 30.05.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को आरोपीगण फरियादी को पूर्व के चल रहे प्रकरण को लेकर मां—बहन की अश्लील गालियां देकर राजीनामा के लिए कह रहे थे, जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ कुल्हाडी से मारपीट की और जब उसका पित उसे बचाने आया तो उसके साथ भी कुल्हाडी से मारपीट की जिससे चोट आईं और जब वे रिपोर्ट करने थाने जाने लगे तो आरोपीगण ने उनका रास्ता रोककर उन्हें रिपोर्ट करने जाने पर से जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 173 / 10 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 506बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तृत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.05.10 को समय शाम 7 बजे ग्राम फतेहाबाद आजाद मोहल्ला लोकस्थल में फरियादिया कलाबाई एवं उसके पति वीरेंद्र के साथ धारदार अस्त्र से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कलाबाई, अ.सा. 02 मनकोबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 कलाबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका झगड़ा हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी जो प्रपी 01 है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। अ.सा. 02 मनकोबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण से जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादिया कलाबाई एवं उसके पति वीरेंद्र के साथ धारदार अस्त्र से मारपीट कर साधारण उपहित कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाडी एवं दो डंडे मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)